<u>2012 का विधेयक सं.10</u>

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।
 - (2) यह त्रन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "निजी विश्वविद्यालयों की विधियां" से अनुसूची में विर्निदिष्ट निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियम अभिप्रेत है; और
- (ख) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- 3. निजी विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन.- निजी विश्वविद्यालयों की विधियों की धारा 5 के खण्ड (म) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या बाहर" हटायी जायेगी।

अनुसूची (धारा 3 देखिये)

क्र.सं.	शीर्षक	अधिनियम सं.		
1.	सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	2008 का 4		
	अधिनियम, 2008			
2.	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर	2008 का 5		
	अधिनियम, 2008			
3.	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनू)	2008 का 6		
	अधिनियम, 2008			

4.	निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर	2008	का	7
	अधिनियम, 2008			
5.	एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर	2008	का	8
	अधिनियम, 2008			
6.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर	2008	का	16
	अधिनियम, 2008			
7.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय,	2008	का	17
	जयपुर अधिनियम, 2008			
8.	भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम,	2008	का	18
	2008			
9.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम,	2008	का	19
	2008			
10.	महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर	2009	का	3
	अधिनियम, 2009			
11.	मेवाइ विश्वविद्यालय, चित्तौइगढ़ अधिनियम,	2009	का	4
	2009			
12.	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल		का	5
	विश्वविद्यालय, चुडेला (झुन्झुन्) अधिनियम,			
	2009			
13.	जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जोधपुर	2009	का	6
	अधिनियम, 2009			
14.	श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, झुन्झुनू	2010	का	4
	अधिनियम, 2010			
15.	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना	2010	का	5
	(अलवर) अधिनियम, 2010			
16.	होम्यापैथी विश्वविद्यालय, जयप्र अधिनियम,	2010	का	6
	2010			
17.	डा.के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक)	2010	का	8
	अधिनियम, 2010			

18.	पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान	2010	का	10
	अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम,			
	2010			
19.	रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर)	2011	का	3
	अधिनियम, 2011			
20.	जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर	2011	का	19
	अधिनियम, 2011			
21.	प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011	का	20
22.	मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम,	2011	का	21
	2011			
23.	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2011	का	22
	विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011			
24.	सनराइज विश्वविद्यालय, बगइ राजपूत (अलवर)	2011	का	25
	अधिनियम, 2011			
25.	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर	2011	का	26
	अधिनियम, 2011			

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों के मानकों का स्थापन और अनुरक्षण संबंधी) विनियम, 2003 में यह उपबंध थे कि किसी निजी विश्वविद्यालय को, उसके अस्तित्व में आने के पांच वर्षों के पश्चात् कतिपय शतों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य के बाहर बाह्य निवेश केन्द्र खोलने के लिए, अनुज्ञात किया जा सकेगा। पूर्वोंक्त उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, अब तक स्थापित और निगमित निजी विश्वविद्यालयों को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उनके अपने-अपने अधिनियमों के अधीन राज्य के भीतर या बाहर बाह्य निवेश केन्द्र स्थापित करने के लिए सशक्त किया गया था।

अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि उसने विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार की सलाह पर पूर्वोक्त खण्ड को हटाने का निर्णय किया है और यह सुझाव दिया है कि विद्यमान राज्य अधिनियमों को तदनुसार संशोधित किया जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये उपर्युक्त सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि विद्यमान 25 निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों को यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जाये कि ये विश्वविद्यालय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, केवल राज्य के भीतर ही बाह्य निवेश केन्द्र स्थापित कर सकेंगे।

> यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अतः विधेयक प्रस्तुत है।

> > डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री।

XX

 $\mathbf{X}\mathbf{X}$

विधेयक की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में के सुसंगत उपबंध का उद्धरण

XX

XX

	5 . '	विश्ववि	द्याल	य की	शरि	क्तयां	और	कृत्य.	- विश्व	विद्याल	य की
निम्ब	निरि	वेत शा	क्तयां	और वृ	ृत्य	होंगे, 🤅	अर्थात	र्:-			
	(क)	से (भ) तक	XX			Х	ХX			XX
	(म) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधे						उपबंधों	ों के अध्यधीन			
		रहते	हुए,	राज्य	के	भीतर	या	बाहर	बाह्य	निवेश	केन्द्र
		स्थापि	रेत कर	रना; औ	र						
	(य)	XX		XX			XX			XX	ζ
XX			X	X				XX			XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 10 of 2012

THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

 \boldsymbol{A}

Bill

to amend the Private Universities' Laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Private Universities' Laws (Amendment) Act, 2012.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Private Universities' Laws" means the Private Universities' Acts specified in the Schedule; and
 - (b) "Schedule" means the Schedule appended to this Act.
- 3. Amendment of Private Universities' Laws.- In clause (y) of section 5 of the Private Universities' Laws, the existing expression "or without" shall be deleted.

SCHEDULE

(See section 3)

S.No.	Title	Act No.
1	Sir Padampat Singhania University,	4 of 2008
	Udaipur Act, 2008	
2	The Jaipur National University,	5 of 2008
	Jaipur Act, 2008	

3	The Singhania University, Pacheri	6 of 2008
	Bari (Jhunjhunu) Act, 2008	
4	The Nims University Rajasthan,	7 of 2008
	Jaipur Act, 2008	
5	The Amity University Rajasthan,	8 of 2008
	Jaipur Act, 2008	
6	The Suresh Gyan Vihar University,	16 of 2008
	Jaipur Act, 2008	
7	The Jayoti Vidyapeeth Women's	17 of 2008
	University, Jaipur Act, 2008	
8	The Bhagwant University, Ajmer	18 of 2008
	Act, 2008	
9	The Jagan Nath University, Jaipur	19 of 2008
	Act, 2008	
10	The Mahatma Jyoti Rao Phoole	3 of 2009
	University, Jaipur Act, 2009	
11	The Mewar University, Chittorgarh	4 of 2009
	Act, 2009	
12	Shri Jagdish Prasad Jhabarmal	5 of 2009
	Tibrewala University, Chudela	
	(Jhunjhunu) Act, 2009	
13	The Jodhpur National University,	6 of 2009
	Jodhpur Act, 2009	
14	The Shridhar University, Bigodna	4 of 2010
	Jhunjhunu Act, 2010	
15	The NIIT University, Neemrana	5 of 2010
	(Alwar) Act, 2010	
16	The Homoeopathy University, Jaipur	6 of 2010
	Act, 2010	
17	The Dr.K.N.Modi University, Newai	8 of 2010
	(Tonk) Act, 2010	
18	The Pacific Academy of Higher	10 of 2010
	Education and Research University,	
	Udaipur Act, 2010	

19	The Raffles University, Neemrana	3 of 2011
	(Alwar) Act, 2011	
20	The J.K.Lakshmipat University,	19 of 2011
	Jaipur Act, 2011	
21	The Pratap University, Jaipur Act,	20 of 2011
	2011	
22	The Manipal University, Jaipur Act,	21 of 2011
	2011	
23	The Mahatma Gandhi University of	22 of 2011
	Medical Sciences and Technology,	
	Jaipur Act, 2011	
24	The Sunrise University, Bagad	25 of 2011
	Rajput (Alwar) Act, 2011	
25	The ICFAI University, Jaipur Act,	26 of 2011
	2011	

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There were provisions in the University Grants Commission (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 that a Private University may be permitted to open off-campus centres out side the State after five years of its coming into existence subject to certain conditions. Having regard to the aforesaid provisions the Private Universities established and incorporate upto now were empowered to set up off-campus centres within or without the State, subject to the provisions of any other law for the time being in force under their respective Acts.

Now the University Grants Commission has informed that it has decided to delete the aforesaid clause on the advice of the Department of Legal Affairs, Government of India and has suggested to amend the existing State Acts accordingly.

In view of the above suggestion given by the University Grants Commission, it is proposed that the existing 25 Private Universities' Acts be amended so as to provide that these Universities shall, subject to the provisions of any other law for the time being in force, be empowered to set up off-campus centres only within the State.

The Bill seeks to achieve the aforesaid object.

Hence the Bill.

डॉ. दयाराम परमार, Minister Incharge.

EXTRACT OF RELEVANT PROVISION IN THE ACTS SPECIFIED IN THE SCHEDLE OF THE BILL

XX	X	X		XX			XX		
5.	Powers	and	functions	of	the	Univers	ity	The	
University	shall hav	e the f	following po	wers	and f	functions	, nam	ely:-	
(a)	to (x)	X	XX :	XX		XX		XX	
(y)	-	o the	impus centre provisions o						
(z)	XX	XX		ΚX		XX		XX	
XX		XX		XX	ζ.			XX	

<u>2012 का विधेयक सं. 10</u>

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कृष्ण मुरारी गुप्ता, उप सचिव।

(डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 10 of 2012

THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

to amend the Private Universities' Laws.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

KRISHAN MURARI GUPTA, **Deputy Secretary.**

(Dr. Dayaram Parmar, Minister-Incharge)